



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230638
CG-DL-E-22102021-230638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 611]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

सं. 50/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 756(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड. (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| क्रम सं. | देश का नाम |
|----------|--------------|
| "37 | सिएरा लियोन" |

[फा. सं. 190354/214/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 08 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 253(अ), दिनांक 08 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

No. 50/2021-Customs

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008, namely: -

In the said notification, in the Schedule, after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -

| S. No. | Name of the Country |
|--------|---------------------|
| “37 | Sierra Leone” |

[F. No. 190354/214/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and was last amended by notification No. 26/2021-Customs, dated the 8th April, 2021, that was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 253(E), dated the 8th April, 2021.